न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :— 04 / 2025 GCMS No. 2025/16

परिवादी :—

1. श्री गणपतराम जाट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :—

1. श्री रामेश्वर लाल पुत्र भंवर लाल खाद्यकारोबारकर्ता
   मैसर्स — ट्रेड मार्ट, दल्ला बालाजी रोड सुरेन्द्र नगर कुचामन सिटी
   निवासी— टोरडा, नागौर
2. श्री अंकिता
   मैसर्स — अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स बेसमेंट, वाईट हाउस कुचामन सिटी
   निवासी— 101, श्रीजी कॉम्पलेक्स बेसमेंट कुचामनसिटी।
3. श्री वंदना देवी बुच्चा पत्नी पारस मल बुच्चा
   मैसर्स — करणी ट्रेडर्स, वॉर्ड नं. 29, मैन रोड़ चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर बीकानेर
   निवासी— नई लाइन, गंगाशहर बीकानेर।

" परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '

उपस्थिति :—

—:निर्णय :—

दिनांक :— 18/12/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2024 को समय 12.50 P.M. पर फर्म मैसर्स — ट्रेड मार्ट, दल्ला बालाजी रोड सुरेन्द्र नगर कुचामन सिटी पर पहुंचा। वहां पर श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री भंवरलाल मिले, मिले । श्री रामेश्वर लाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री श्री रामेश्वर लाल ने स्वयं को फर्म मैसर्स — ट्रेड मार्ट, दल्ला बालाजी रोड सुरेन्द्र नगर कुचामन सिटी का खाद्यकारोबारकर्ता होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा—पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आगामी खरीद बिल व स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध गाय का घी (भुमि) एक लकडी की रैक पर 500—500 एमएल के 18 प्लास्टिक जार सिल्ड पैंक रखे है, मे अमानक/मिश्रित होने का शक होने पर 500—500 एमएल के 4 प्लास्टिक जार सिल्ड गत्ता पैक को खाद्य कारोबारकर्ता श्री रामेश्वरलाल को 960/— रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. **5 ए** की प्रतियॉ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रामेश्वरलाल एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. **5 ए** की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री रामेश्वरलाल को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गाय का घी (भूमि) 500–500 एमएल के प्लास्टिक जार सिल्ड पैंक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ.नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-2905 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-2905 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. **6** की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक 318 दिनॉक 02.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. **L.S./404/Act/2024/432** दिनांक **12.04.2024** के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ गाय का घी (भूमि) का नमूना अनसेफ होना पाया गया। श्री रामेश्वरलाल मैसर्स ट्रेर्ड मार्ट, दल्ला बालाजी रोड, सुरेन्द्र नगर कुचामनसिटी द्वारा खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के उपरांत उन्होने पुनः जांच हेतु फार्म –8 मय डीडी के साथ आवेदन किया। नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया, जिसकी जांच सर्टिफिकेट क्रमांक Certifcatie No 898F/FSSA/2024 दिनांक 29.08.2024 के अनुसार गाय का घी (भूमि) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं [illegible] अधिकारी नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन [illegible] हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री रामेश्वरलाल व अन्य ने खाद्य पदार्थ गा[illegible] घी (भूमि) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा **3(1)(zx)substandard (B.R.R at 40°C 47.41 in Place of 40-44,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

R.M. Value 1.8 in place of not less than 24, Iodine value (Wij's method 46.44 in Place of 25-38, saponification Value 202.24 in Place of 205-235, Test for the presence of vegtable oils Present B-sitoterol present in place of Shall be absent 26(2)(ii) के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालंय में अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 51 के अन्तर्गत निहित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुश्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्रात्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 21.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त श्री रामेश्वरलाल खाद्यकारोबारकर्ता व अन्य को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभियुक्त का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि उसके द्वारा विक्रय किया गया गाय का घी (भूमि) बेचा गया है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं.L.S./404/Act/2024/432 दिनांक 12.04.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The sample of **GHEE** bearing Code No. and Sr. No. **Q-2905** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, nagaur is **Unsafe food under section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)(zz)(xi) of food safety and Standards Act-2006 as the milk fat Substituted wholly by any inferior or cheaper substance.**

अतः खाद्यकारोबारकर्ता श्री रामेश्वरलाल ट्रेड मार्ट, दल्ला बालाजी रोड सुरेन्द्र नगर कुचामन सिटी से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ गाय का घी (भूमि) नमूना नं. **Q-2905** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड **Q-2905** वाले गाय का घी (भूमि) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के वनियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

धारा 26:— खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः—

(1) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :—(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा—58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार गाय का घी (भूमि) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री रामेश्वरलाल ट्रेड मार्ट, दल्ला बालाजी रोड सुरेन्द्र नगर कुचामन सिटी व अन्य दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51, 58 के तहत अभियुक्त श्री रामेश्वरलाल खाद्यकारोबारकर्ता ट्रेड मार्ट, दल्ला बालाजी रोड सुरेन्द्र नगर कुचामन सिटी, श्री अंकिता अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स बेसमेंट, वाईट हाउस कुचामन सिटी, श्री वंदना देवी बुच्चा पत्नी पारस मल बुच्चा करणी ट्रेडर्स, वॉर्ड नं. 29, मैन रोड़ चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर बीकानेर पर राशि रुपये प्रत्येक पर 11000/—(अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:15 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला म... कुचामन सिटी